

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 31-8/2015/सत्ताईस-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

उपाध्यक्ष,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:- अपरवेदा परियोजना (जिला खरगोन) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति ।
संदर्भ :- सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल का पत्र क्रमांक 146/59.05/27/न.नि.मं./17
दिनांक 13/12/2017.

--00--

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.08.2015 द्वारा अपरवेदा परियोजना हेतु राशि ₹ 260.99 (₹ दो सौ साठ करोड़ निन्यानवे लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

2/- नर्मदा नियंत्रण मंडल की 59 वीं बैठक दिनांक 12.12.2017 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा खरगोन जिले की अपरवेदा परियोजना हेतु पूर्व में जारी की गई राशि ₹ 260.99 (₹ दो सौ साठ करोड़ निन्यानवे लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के स्थान पर यूएसआर 2017 पर संलग्न परिशिष्ट-"1" में उल्लेखित मदों के लिये राशि ₹ 281.49 करोड़ (₹ दो सौ इक्यासी करोड़ उनचास लाख) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

3/- उक्त व्यय लेखाशीर्ष 41-4700-5090 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(प्रतिभा ढोरे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

पृ0क्रमांक एफ 31-8/2015/सत्ताईस-एक

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
4. समस्त सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
5. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।